

>14.36 hrs.

Title: Consideration and passing of the Homoeopathy Central Council (Amendment) Bill, 2002.(Bill Passed)

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI SHATRUGHAN SINHA): Mr. Chairman, Sir, Homoeopathic system is one of the recognised systems of medicine in India. About two lakhs registered practitioners are practising this system in India. The system is simple, efficacious and proven to be effective for the common ailments as well as in chronic diseases, and for certain disorders, for which there is less or no treatment in other systems. The Government is encouraging this system to develop on its own genius. One of the measures taken to regulate the education and practice of the system is the enactment of the Homoeopathy Central Council Act in 1973. Under the provisions of this Act, the Government in 1974 constituted a Central Council of Homoeopathy, which has been reconstituted from time to time.

The main objectives of this Council are to maintain a central register of the practitioners of Homoeopathy and to ensure maintenance of proper educational standards. Through this measure of registration of practitioners, the menace of the practice of Homoeopathy by people without any training or experience has been greatly curtailed.

Prior to the enforcement of this Act, different State Governments were conducting different courses of varying duration and titles. In order to achieve the standardisation and bring uniformity in education, various regulations have been enforced. One such regulation is the Homoeopathy Minimum Standards of Education Regulation 1983.

With the increase in acceptance and popularity of the system, the demand for establishing new colleges grew, resulting in an increase in the number of doctors coming out from these colleges. Commercialisation of medical education gave incentive to opening more and more colleges. The Societies, Trusts and similar bodies started colleges after obtaining permission of the State Governments and affiliation from the Universities. This caused proliferation of colleges leading to fall in standards. It was expected that the Homoeopathy Central Council Act and the Education Regulations would help achieve uniform standard in education and practice in the system. But due to lacunae in the provisions, neither the Central Government nor the Central Council of Homoeopathy could enforce the provisions in letter and spirit.

According to the procedure in vogue, an intending society etc. can obtain permission of the State Government and consent of the University for affiliation. Thereafter, they approach the Central Council of Homoeopathy for permitting them to run the course for a fixed number of seats. There is no legal provision which makes it obligatory to obtain prior approval of the Central Government or the Central Council. This has led to proliferation of sub-standard colleges.

The Central Council of Health and Family Welfare and the Conference of the State Health Ministers on Indian System of Medicines and Homoeopathy addressed this issue and recommended the amendments of the Homoeopathy Central Council Act with a view to permit new colleges which comply with guidelines laid down in this regard.

Therefore, a proposal was made to amend the Act on the pattern of the amendments carried out in the Indian Medical Council Act in 1993.

The provisions proposed in the amendment are: (1) to seek permission of the Central Government for the establishment of new colleges; increase in the number of seats and for introducing new courses, with a view to ensure curtailing the mushrooming of sub-standard institutions; and (2) to provide provisional registration to the interns to undertake their training with proper legal sanction.

Therefore, Sir, I move:

"That the Bill further to amend the Homoeopathy Central Council Act, 1973, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration. "

MR. CHAIRMAN : Motion moved:

"That the Bill further to amend the Homoeopathy Central Council Act, 1973, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration. "

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): Mr. Chairman, Sir, first of all I thank and congratulate the Minister of Health and Family Welfare for the first time placing this Bill, which he has brought from Rajya Sabha to Lok Sabha, and seeking the support of the House as the Health Minister of India.

Sir, the homoeopathy education, homoeopathy treatment, if I may say so, the homoeopathic culture is an established one in India since long, long ago. People from all walks of life, literate or illiterate, do always develop a habit and did develop a habit in the past to learn or to understand something about homoeopathy. The easy access to the medicine and the easy access to the knowledge of homoeopathy, through the printed books, provides enormous scope to the people of India to make sure that homoeopathy is available at the door, and it can take care of the minor or even some medium types of ailments of every family. If I may say so, it is not a census report. If you

make a sample survey, you will find, at least, in one out of every five houses, there is an old man or an old aunt or a *dadi* or some one else who will first advise, 'For this ailment, why do you not try homoeopathy?'

14.41 hrs. (Dr. Raghuvansh Prasad Singh *in the Chair*)

You will find that in one out of 10 houses, there is a person who is committed or dedicated to study the homoeopathic book and to keep some medicine ready to give you. Even while you travel in the train, sometimes it so happens that in serious cases of some pain or headache or vomiting, you will find that suddenly there is an allopathic doctor travelling in the train. But, you will also find that there is a man with homoeopathic medicine. He would come forward to help you. I am not saying that this practice is a recognised practice. This practice should be honoured. But in many cases, this is a voluntary effort of the people of India to respond to the homoeopathic treatment and to use homoeopathic medicine. From the boyhood days, whenever we got some pain or any other problem, we used to hear the names of Arnica, Thuja and Palcitila from grandparents, even before we learnt the full course of the literature, either of English or its alphabets. We used to hear so many medicines. The children of every house have had a habit even to steal it because it is sweet.

Now, what I would like to say, through you, to the hon. Minister is that we are here to support his amendment. There is no doubt about it. This piece of legislation, which was conceived long back, once in 1974-76, later on reviewed in 1983 and now, through this amendment, in 2002, deserves support. There is no doubt about it. But you have to understand one important thing. In 2002, let us admit that the population explosion of this country has crossed more than one billion. The Government of India and the State Governments till today cannot ensure good health or support the ailing people of the last village, either through homoeopathy or through allopathy or through *ayurveda*. How many people go to hospitals? How many people go to the OPD? If you take the number, you will find that in the remote areas of India, the subsidiary health centres do not work regularly in the absence of doctors. I am not going into the controversy of the States and the Centre or I am not saying it is a State subject or the State Government is accountable. The reality is that half of the people in the villages do not get the minimum response even as outdoor patients standing in the queue. In the subsidiary health centres, they do not get support even for a minor problem through homoeopathy.

I can give you umpteen number of examples. I can tell you that in our State, in 1974, when we were in power, there was an attempt to ensure that if not an allopathic doctor, at least a homoeopathy doctor recognised by the Government is made available, at least in the subsidiary health centres and village health centres, to look into the immediate need of the people who come and stand in the queue. That practice has not been stabilised. The need of homoeopathy doctors, especially in villages, is in abundant numbers, which we cannot cope with. With the result, a number of private practitioners, who are not so-called registered doctors, by studying the book, are doing well. I give you an example today.

One of our footballers had a severe pain in his ankle after an injury in a village while playing a football match. Since we could not take him to the nearest health centre because the road was not good, the local people suggested that we could take him to a person who would give homoeopathic treatment. He was not a regular professional doctor. He was merely reading homoeopathy books and prescribing medicines. He gave some medicines and within a few hours the player was relieved of the pain. After that, he went to the regular doctor. I do not want to undermine the knowledge of such doctors who had not gone to universities or colleges but who can dedicate themselves to this kind of a service. It is also the hobby of retired people in this country to read homoeopathy books in their leisure time and suggest medicines.

This piece of legislation would help control *mala fide* practice and wrong application of medicines by doctors who are not regular practitioners. The intention of this Bill, in that way, is correct but you have defined 'person' in two categories. You have said that no trust or university can establish a medical college in the name of homoeopathy or higher degree courses without obtaining clear concurrence from the Central Government. If you had said that in respect of universities under the control of the Central Government, I could understand that but you cannot undermine the competence of universities under the control of the States to respond to the needs of those States. You are asking them to justify the establishment of a new institution or a medical college for homoeopathy after which you would examine the scheme of things and take your time to decide on approval of the institution. I am not objecting to it in the case of the Central universities but I think it is a little too much to encroach on the authority of the universities under the control of the States, who are competent, at least if not in allopathy, to decide whether these institutes are to be recognised as institutes of homoeopathy under the university.

My next submission relates to clause 12 (b), where it is said that any medical qualification granted by any medical institution established without prior permission of the Central Government in accordance with the provisions of clause 12 (a) shall not be deemed to be a recognised medical qualification for the purposes of this Act. If a person had got a degree of BMH before 1973, when the Council Concept was first conceived, and is practising, his degree would not be recognised. Shri Shatrugan Sinha knows Bengal very well. There is a doctor who stays in

Chittaranjan Park in New Delhi and is also a renowned homoeopathy doctor in Kolkata. His name is Doctor Banerjee. There is always a long queue in his clinic and it is difficult to get an appointment with him. He did not get the degree after 1973. His students also got qualified in homoeopathy before 1973. They got their degrees before 1973. Does this provision say that even now those degrees could be de-recognised? The hon. Minister may kindly explain this. If you say that the degrees obtained from various universities before this Act was introduced should be kept in tact but those degrees obtained later on when this Act were in operation should be questioned, I can understand that but this gives a message, subject to correction by the hon. Minister, that the degrees and registrations of those who do not come into the ambit of the operation of this Act are treated cancelled. This fear is haunting me.

I read in a magazine recently that these days homoeopathy is being considered as one of the very important medicinal systems even among HIV patients. The first time I came across this, I laughed at it because I did not believe it because all the journals I read on HIV treatment do not mention homoeopathy but I am told now that homoeopathy is also now concentrating on research for a quick application on HIV patients.

I do not know whether the hon. Minister is having that information or not. If he is having the information, then he can enlighten the House. India being the second largest HIV-affected country in the world, the capacity of our operation may not be that sound and that strong one. I want to know whether he can consult his Council on such lines, whether homoeopathy doctors could be motivated, trained and given the idea as to what research they are making on the HIV because it is very important for the country to consider it. If we are figured today as the second largest in the world, it will be disastrous for us in future because already we are having one billion population.

Finally, I appeal, through you, to the hon. Minister, whether after consulting the State Governments, he can make a kind of mandatory regulation that in all these subsidiary health centres, not only the block health centres, there shall be a compulsory homoeopathic doctor with all available homoeopathic medicines which are very cheap to the poor people, at least in every centre of the country. They may not have the capacity to buy the antibiotic drugs of the allopathic prescription, but let them have the capacity to take the *pudias* of the homoeopathy. If the hon. Minister can do it and specify the areas, at least the vulnerable areas, I think, it will be a great justice to our people because I very much respect and value the homoeopathic medicine, homoeopathic treatment, homoeopathic method and homoeopathic doctors. They charge very less than the allopathic doctors. It will be in one way helping the poor people of the country with the clear knowledge of the medicines.

I only support this amendment on one count that while two-three dedicated people are there without degrees to apply the homoeopathy medicines, there are a number of frauds also who are making a mess of it and creating nuisance of it. So, to keep a check on that, this regulation is necessary. Therefore, I support the amendment and I convey my feelings on behalf of our Party to the hon. Minister to consider this mandatory arrangement with the States and the Centre for the compulsory engagement of the doctors so that universities also will feel to give this education with the genuine spirit that these doctors will also have a role to play in the society under the umbrella of the Government regulation.

डॉ. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मन्दसौर) : सभापति महोदय, हम जिस विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं, वह चिकित्सा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण विधेयक है। हम सभी जानते हैं कि भारत में कई चिकित्सा प्रणालियां हैं, जैसे एलोपैथी है, आयुर्वेदिक है, यूनानी है और होम्योपैथी है। इनके अलावा कई ऐसी चिकित्सा पद्धतियां हैं, जो औषधियों के आधार पर नहीं, साधन, उपकरण या कर्म के आधार पर चिकित्सा करती हैं। इनमें प्राकृतिक चिकित्सा है, एक्यूपेंचर है, एक्यूप्रेशर है। इन चिकित्सा प्रणालियों में दवा की आवश्यकता नहीं होती। आयुर्वेदिक, एलोपैथी, यूनानी और होम्योपैथी में दवाओं की आवश्यकता होती है। लेकिन इनमें भी होम्योपैथी को निरापद चिकित्सा पद्धति माना जाता है। अन्य चिकित्सा पद्धतियों में कई बार दवाओं का दूरगामी असर पड़ सकता है, साइड एफेक्ट भी सामने आते हैं और उसको रोकने के लिए फिर चिकित्सा करनी पड़ती है। हालांकि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में दवाओं का विपरीत प्रभाव बहुत ही कम है, लेकिन होम्योपैथी में बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए छोटे से छोटा और गरीब से गरीब व्यक्ति भी इसको अपना सकता है, क्योंकि यह सबसे सरल और सबसे सस्ती पद्धति है।

इस चिकित्सा पद्धति के बारे में अब तक जो स्थिति चल रही थी, उसको ठीक करने के लिए यह विधेयक सदन में लाया गया है। अब तक केन्द्रीय सरकार का या केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद का कोई नियंत्रण नहीं था। राज्यों में राज्य होम्योपैथी परिषदें बनी हुई हैं। राज्यों में होम्योपैथी कालेज चल रहे हैं। कुछ ठीक ढंग से चल रहे हैं, लेकिन कुछ एक या दो कमरों में ही चल रहे हैं। आप जानते हैं कि प्रारम्भ में जब चिकित्सा पद्धति के अंदर रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई थी, तो अनुभव के आधार पर की गई थी। उसमें न तो कोई डिप्लोमा था और न ही डिग्री थी। आज ये दोनों हैं। लेकिन अनुभव के आधार पर जब रजिस्ट्रेशन किया गया तो उसमें ऐसे लोग भी आ गए जिनको सामान्य शारीरिक ज्ञान भी नहीं था।

ऐसे व्यक्ति आ गये जिन्हें आप 'झोलाछाप डॉक्टर' कह सकते हैं और जो चिकित्सा पद्धति के बारे में ठीक से नहीं जानते हैं। उनके कारण सारे चिकित्सा जगत पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ा क्योंकि राज्यों की होम्योपैथी परिषदें भी थीं लेकिन वे इनको नियंत्रण करने में असमर्थ थीं। कॉलेज चल रहे हैं लेकिन कई ऐसे हैं जहां उपकरण नहीं है, समुचित व्यवस्था नहीं है और पढ़ाने के लिए योग्य चिकित्सक नहीं हैं। इस दृष्टि से इस विधेयक के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि आपको केन्द्रीय परिषद से अनुमति लेनी पड़ेगी। बिना केन्द्रीय परिषद की अनुमति से न तो आप कॉलेज प्रारम्भ कर सकते हैं, अनुमति के बाद भी कालेज प्रारम्भ होने पर प्रथम वा का शिक्षण शुरू करने हेतु भी अनुमति जरूरी है। यहां तक कि चिकित्सा पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद भी अगर प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी है तो उसके लिए भी आपको केन्द्रीय परिषद की अनुमति लेनी आवश्यक है। बिना केन्द्रीय परिषद की अनुमति के यदि आपने प्रथम वा के बाद द्वितीय वा का शिक्षण आरम्भ कर दिया तो केन्द्रीय परिषद यदि चाहे तो उसको निरस्त कर सकती है और छात्र परीक्षा में भाग नहीं ले सकेंगे तथा वे लाभार्थी नहीं हो सकेंगे। यह व्यवस्था की गई है।

इस विधेयक पर राज्य सभा में काफी विस्तार से चर्चा हुई है और कई माननीय सदस्यों ने उसमें भाग लिया है जिसमें चिकित्सक भी थे और ऐसे लोग थे जिनको स्वतः चिकित्सा पद्धति का सहारा लेना पड़ा और वे लाभान्वित हुए। वर्तमान में जो हमारे राज्यपाल श्री टी.एन.चतुर्वेदी हैं, उन्होंने भी इसमें भाग लिया था और वे स्वयं

भुक्तभोगी रहे थे और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जानते होंगे, उन्होंने कहा था कि मैंने स्वयं इस चिकित्सा पद्धति के कई लाभ लिये हैं। निरापद चिकित्सा पद्धति होने के कारण इसका अधिकाधिक लाभ मिला। इसके लिए नियंत्रण की आवश्यकता है और जैसा कि इसकी व्यवस्था में प्रारम्भ में ही कहा गया है, मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा कि कुछ राज्य सरकारें शिक्षण और प्रशिक्षण के आधार पर सुख-सुविधाओं के लिए जोर दिये बिना नये होम्योपैथी महाविद्यालय खोले जाने का अनुमोदन स्वयं ही कर देती हैं जो उचित नहीं था और जिसे आज समाप्त कर दिया गया है। ऐसे उदाहरण भी हैं जहां महाविद्यालयों को प्रथम वां में तो अनुज्ञा दी जाती है, किन्तु पश्चातवर्ती वां में अनुज्ञा दिये बिना ही प्रारंभ कर दिया जाता है। केन्द्र सरकार सब ठीक करना चाहती है। केन्द्र सरकार ने सुधारात्मक उपाय सुझाए हैं और इसके लिए उक्त विधेयक में होम्योपैथी में अध्ययन का नया पाठ्यक्रम आरम्भ करने के लिए होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद का अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता है और महाविद्यालयों पर इस प्रकार की बाध्यता लाये जाने की व्यवस्था की गई है और इस दृष्टि से इसमें विभिन्न उपबन्ध किये गये हैं, वे भी बहुत महत्वपूर्ण हैं।

आप जानते हैं कि आज चिकित्सा क्षेत्र में काफी परिवर्तन हो रहा है। हम यह भी जानते हैं कि आयुर्वेद ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें हजारों वां पहले सुश्रुत जिनको हम जानते हैं, उन्होंने शल्य चिकित्सा की थी और आज शल्य चिकित्सा का बहुत प्रभाव है और एलोपैथी शल्य चिकित्सा के कारण जिंदा है अन्यथा आयुर्वेद भी बहुत महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धति है तथा अपने देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग आयुर्वेद को अपना रहे हैं। आयुर्वेद में अश्वगंधा क्या है, शिलाजीत क्या है, बहेड़ा क्या है। इन पर नये-नये अनुसंधान हो रहे हैं और अनुसंधान होकर उनका पेटेंट हो रहा है, कुछ लोग अश्वगंधा का पेटेंट करवाने जा रहे हैं। हमने इसके बारे में कहा कि यह तो हमारी चीज है। इसका आप पेटेंट कैसे करेंगे? इस प्रकार विदेशों में भी खोज होने लगी है। इसी प्रकार होम्योपैथी में भी मदर टिक्चर बनाया जाता है और उसके आधार पर जो शक्कर के ग्लोब्यूलस होते हैं, उसमें मदर टिक्चर डालकर जितना जिसका विस्तार करना होता है, उसकी जितनी पोटेंशीज करनी होती है, जैसे 15 का, 20 का, 30 का, 50 का या 100 का या हजार का होता है, उसकी अलग-अलग पोटेंशीज बनाई जाती है और उसके आधार पर दवाई दी जाती है। अगर 200 की पोटेंशी की है तो हफ्ते में एक बार लेनी पड़ेगी। अगर कम की होती है तो उससे कम दिनों में और अगर ज्यादा हो तो एक महीने में, कम है तो प्रतिदिन लेनी पड़ेगी और इस प्रकार चिकित्सा पद्धति की व्यावहारिकता है। एक बार विचार चला था कि क्या हम देश के अंदर कोई ऐसी चिकित्सा पद्धति विकसित नहीं कर सकते हैं जिसको हम एकीकृत चिकित्सा पद्धति कह सकते हैं?

वाँ पूर्व आपको स्मरण होगा कि आयुर्वेद और एलोपैथी को मिलाकर इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स चला था और उसमें परीक्षाएं होती थी। वे बीआईएमएस होती थी- बैचलर ऑफ इंडियन मेडिसिन एंड सर्जरी कहते थे और जो अब ए आई एम एस हो गया है। फिर बाद में अनुभव किया गया कि आयुर्वेद को पृथक रखा जाए और एलोपैथी को अलग रखा जाए। इनको अलग-अलग रखा जाए लेकिन मैं एक बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ और यहां माननीय मंत्री जी बैठे हैं कि विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों का रजिस्ट्रेशन तो हो जाता है लेकिन प्रायः देखा जाता है कि जिस पद्धति में रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, उस पद्धति में चिकित्सक काम नहीं करते हैं। होम्योपैथी में रजिस्टर्ड हैं लेकिन सुइयां एलोपैथी में लगा रहे हैं। कई ऐसे डॉक्टर हैं जिनको उनका पूरा ज्ञान ही नहीं है। इसीलिए मेरा निवेदन है कि जिस पद्धति में वे अपने को रजिस्टर्ड करें तो उसी पद्धति को अपनाएं या फिर इतनी छूट के लिए इसमें कोई व्यवस्था दे दें कि इन शैड्यूल की दवाइयों को व्यवहार में लाने का अधिकार होगा। फिर वे एलोपैथी में काम करें या आयुर्वेद में काम करें तो आयुर्वेद वालों को यह अधिकार होगा कि वे इतनी एलोपैथिक दवाइयां काम में ले सकते हैं जिनको निर्धारित किया जावे, आज कुछ राज्यों में यह व्यवस्था है।

15.00 hrs.

ऐसा होम्योपैथी के लिए भी होना चाहिए। शैड्यूल बनाकर एक दूसरे को लाभ देना चाहिए। कुल मिलाकर वे चिकित्सा के जरिए रोगोपचार करना चाहते हैं। अगर रोगोपचार करना चाहते हैं, तो कम से कम खर्च में और जल्दी से जल्दी रोग कैसे समाप्त हो सकता है, उस दृष्टि से विचार करने की आवश्यकता है। अमरीका और ब्रिटेन में चिकित्सा प्रणालियों के बारे में काफी चर्चा हुई है। मैं एक उद्धरण देना चाहता हूँ - एकीकृत चिकित्सा एक नया शब्द है, जिसके अंतर्गत आधुनिक एलोपैथी चिकित्सा और विभिन्न भारतीय चिकित्सा पद्धतियों एवं इसी तरह की अन्य प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों का अनुकूल समन्वय किया जाता है। हालांकि इन पद्धतियों के विशाल विगत में एक-दूसरे के आलोचक रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ अरसे से हवा का रुख बदला है और अब ये पद्धतियां रोगों का अधिक कारगर एवं किफायती उपचार उपलब्ध कराने के लिए एक दूसरे की सहयोगी बन रही हैं। जब एक दूसरे की सहयोगी बन रही हैं, तो इस विज्ञान को आगे बढ़ाना चाहिए। होम्योपैथी में भी रिसर्च करने की आवश्यकता है। आयुर्वेद पर रिसर्च करने के लिए आप जोर दे रहे हैं। आयुर्वेद में कैंसर पर खोज हुई है और अच्छे परिणाम निकले हैं। इसके लिए चिकित्सक धन्यवाद के पात्र हैं। इसी प्रकार मलेरिया के बारे में भी खोज हुई है। मलेरिया एक बार होकर फिर दोबारा हो जाता है। आयुर्वेद में इस पर खोज हुई है, सफलता मिली है, और होम्योपैथी में भी खोज करने की आवश्यकता है। यह खोज या अनुसंधान कलकत्ता के एक वैज्ञानिक, डा. महेन्द्र लाल सरकार ने प्रारम्भ की। वे वैज्ञानिक ही नहीं थे, अच्छे डाक्टर भी थे। उन्होंने कलकत्ता के अन्दर शोध प्रारम्भ किया था। आज होम्योपैथी में टिक्चर के साथ मिश्रित पद्धति चल रही है, जैसे थूजा के साथ कोई समान गुण दवा मिलाकर आर्सेनिक और आर्निका को मिला कर या ऐसी ही अन्य समान धर्मी दवा दी जाती है। तीन-चार दवाइयों को मिलाकर जिस प्रकार से आयुर्वेद में चलता है, जैसे एलोपैथी में चलता है, उसी आधार पर होम्योपैथी में भी चलने वाला है। यह मिश्रित पद्धति देखादेखी चल रही है। मैं चाहता हूँ, अगर इस पद्धति को ठीक बनाए रखना है, तो निश्चित रूप से मदर-टिक्चर पर जाना पड़ेगा, जो ज्यादा प्रभावी और लाभप्रद है। मिश्रण व्यवस्था उतनी लाभप्रद नहीं है।

महोदय, मैं बिल की अन्य धाराओं पर नहीं जाना चाहता हूँ और न ही लम्बा भाण देना चाहता हूँ। लेकिन यह बात जरूर है कि कुछ मामले ऐसे हैं, जिनके बारे में निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए। जैसा मैंने रजिस्ट्रेशन के बारे में कहा, रजिस्ट्रेशन के बाद जांच जरूरी है। कौन कैसा काम करता है, कौन कैसी दवाई देता है या कौन सी दवाई देनी चाहिए और इसके साथ ही महाविद्यालयों में, पाठ्यक्रम के बारे में केन्द्रीय सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक है। हर जगह एक ही तरह का पाठ्यक्रम हो और कालेज के अन्दर जब तक सुव्यवस्था न हो, जिस प्रकार से अन्य चिकित्सा महाविद्यालय या डेंटल कालेज है, जब तक महाविद्यालय की अनुमति नहीं होती, जब तक वहां जाकर परीक्षण नहीं कर लें, कालेज का स्टाफ कैसा है, बैठने की क्या व्यवस्था है और उपकरण हैं या नहीं, तब तक मैं समझता हूँ कि अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मैडिकल कालेजों के बारे में कहा जाता है कि बिहार में औसत दर्जे से नीचे हैं और यह स्थिति उत्तर प्रदेश में भी है। अगर ऐसी स्थिति नहीं होती है, वे निश्चित रूप से हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। इस दिशा में मैं समझता हूँ कि यह विधेयक कारगर सिद्ध होगा और आम आदमी को अच्छे स्वास्थ्य में भी सहायक सिद्ध होगा। होम्योपैथी पद्धति को जितना विकसित कर सकें, उतना अच्छा है। इसके साथ ही अन्य चिकित्सक पद्धतियों जैसे आयुर्वेद के बारे में भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके साथ ही मैं यह कहना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य मंत्रालय में आयुर्वेद के लिए पृथक संचालनालय स्थापित करें। मैं समझता हूँ सिन्हा जी के मंत्री बनने के बाद होम्योपैथी जगत में नई क्रान्ति आएगी और नया परिवर्तन होगा। जो मानदंड निर्धारित किए गए हैं, उनका पालन होम्योपैथी में ठीक-ठीक करें। राज्य होम्योपैथी परिषद् पूरी तरह स्वतन्त्र नहीं है। राज्य युनिवर्सिटीज से मान्यता मिलना पर्याप्त नहीं है। इसमें आप केन्द्रीय व्यवस्था चाहते हैं, तो उस दृष्टि से कार्य करने की आवश्यकता है। यह विधेयक एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी सिद्ध होगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ।

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): Thank you, Sir.

At the outset, I submit that I support the Bill. I thank the Health Minister for being present today in the House. Because of his preoccupations, he is a man who is seldom seen in the House. Fortunately he is present in the House now to present this Bill. It is quite all right. For that reason also I support the Bill.

In the instant case, the most important factor we should take note of is commercialisation of education as a result of

globalisation, liberalisation and other economic reforms. It has also come out that commercialisation is the most important thing that we will have to tackle with when we are dealing with such matters. Why are these homeopathic institutions coming up like mushrooms? It is because it happens to be a profitable business like the business of running primary and nursery schools. We see a number of nursery schools come up in the country day after day. They charge about Rs.10,000 a term for teaching a boy in a kindergarten school. So, quite naturally you can see homeopathic institutions coming up in every nook and corner of the country. Without any recognition and without anybody's authority, people are claiming that they are teaching homeopathy.

As a matter of fact, I am a believer in homeopathy. I have faith in homeopathy because it has no side effects. I am taking homeopathic medicines for about four decades now. They have not created any side effects in my body. If I had taken allopathic medicines, I would have attracted so many other diseases that are incurable. So, that is the result of homeopathic treatment. I claim that I am an old man now. In my old age also I am taking homeopathic medicine because I have complete faith in them as they do not create any side effects.

We see that these homeopathic colleges do not have adequate teaching facilities. Sometimes these colleges are even run beneath trees. Without even having a building to run classes, they claim that they are conducting homeopathic institutions, imparting education, and giving certificates of diploma or graduation. That is the claim which is put forth by these private individuals who are making money in the name of homeopathic education. We must put a full stop to that. This Bill will go a long way in meeting that situation. I hope the Minister will give, as he has given in the film world, a lead in this and take initiative to bring in control over these unauthorised homeopathic institutions found throughout India. This is not the case of homeopathy alone, even allopathic medical colleges are mushrooming in some States.

Some three or four decades ago, only one or two medical colleges were seen in a State. Now there are dozens of medical colleges in each and every State. These medical colleges charge capitation fee of Rs.10 lakh and Rs.15 lakh for admission. The payment is made three or four years before the time of admission. The guardians of Plus-2 students apply for admission much in advance by paying Rs.15 lakh.

It is a very lucrative business. What is the motto behind the treatment of both Allopathy and Homoeopathy? It is service to humanity. But service is nowhere seen in both. The only service is to make money or to make profit. This has become the order of the day.

In this particular case also, the State Governments knowingly or unknowingly are giving help to these institutions, maybe, because of political reasons. Even without sufficient number of students or even without sufficient facilities or even without any infrastructure, they are allowing them to start Homoeopathic medical colleges in the State. The standard of education has decreased. After all, what they teach is not Homoeopathy at all; it is something else. Even water is provided in small bottles in Homoeopathic treatment and it is claimed that it was medicine; but it was not. So, this has become the experience of the day.

So, I would request the hon. Minister to be very stringent in these matters. We should see that the standard of education comes to the international level. Please do not give recognition to all the institutions which apply for that. Only if they satisfy the requirements of the law, you should give recognition.

The same thing should be followed in the case of Allopathic colleges also. In Allopathic colleges also, capitation fee has become the order of the day. They do not have even the facility of treatment; they do not have medical college hospital; they do not even have the land that is required for starting medical colleges. People start medical colleges just with one acre of land, which is quite insufficient. The standard of education has diminished.

I would also request you to see that commercialisation does not come into it. It should not be the supreme concern. Of course, people who spent some money on it, may get some profit out of it, but that should not be the sole criterion. I would request you once again to be stringent or very strict in giving recognition; and only if it is in conformity with the law, recognition need be granted.

I hope that you will definitely take a lead – in spite of your pre-occupation in the film world – in the matter and see that things are put in the right direction, especially in granting recognition to medical colleges.

With these words, I support the Bill.

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री, शत्रुघ्न सिन्हा जी द्वारा लाए गये होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2002 का पुरजोर समर्थन करता हूँ। वास्तव में जब से एनडीए की सरकार आई है तब से देशी-चिकित्सा-पद्धतियों की ओर ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा है। चाहे वह आयुर्वेद हो, युनानी हो, होम्योपैथी हो या और भी जो भिन्न-भिन्न भारतीय परिवेश में पद्धतियां हैं उनकी ओर इस सरकार ने ज्यादा ध्यान दिया है। पहले भारतीय चिकित्सा-पद्धतियों की ओर ध्यान न देकर केवल एलोपैथी की ओर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। यह और भी विशेष प्रसन्नता का विषय है कि माननीय शत्रुघ्न सिन्हा जी के नेतृत्व में पहली बार होम्योपैथी का बिल लोक सभा में पास करने के लिए उपस्थित किया गया है। इसके लिए सिन्हा जी विशेष बधाई के पात्र हैं।

मान्यवर, सभी जानते हैं कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति अत्यधिक लोकप्रिय, सहज और सभी के लिए सुलभ चिकित्सा पद्धति है। इसमें निदान के लिए अचूक औधियां हैं। मान्यवर, कबीर के शब्दों में मैं कहूँ तो यही कह सकता हूँ कि "तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखों की देखी"। मैं अपने अनुभव से इस चिकित्सा-पद्धति के बारे में यह बात कह सकता हूँ क्योंकि मैं भी इस चिकित्सा-पद्धति से लाभान्वित हुआ हूँ। मुझे किडनी में स्टोन की प्रॉब्लम आ गयी थी, जिसका इलाज होम्योपैथी दवा से हुआ और वह पथरी गल-गल कर निकल गयी।

केन्द्र सरकार अब होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) विधेयक लाई है - यह वास्तव में सक्षम है। इस समय देश के अंदर 166 शिक्षण संस्थायें होम्योपैथी की हैं, जिनकी वार्षिक प्रशिक्षण क्षमता 9930 विद्यार्थी है। इनमें 133 महाविद्यालय निजी क्षेत्र में हैं जिनके पास इनफ्रास्ट्रक्चर नहीं, पढ़ाने की कोई सुव्यवस्था नहीं। केन्द्रीय सरकार इस परिषद् के माध्यम से यह अधिकार प्राप्त करने के लिये कि बिना उनकी अनुमति के कोई इस प्रकार का होम्योपैथी चिकित्सालय न खोले, नया पाठ्यक्रम प्रारम्भ न हो, प्रशिक्षण देने वाले लोग सक्षम हों, योग्यता से युक्त हों, सरकार यह प्रस्ताव लायी है। हमारी संस्कृति में कहा गया है - 'सर्वे सन्तु निरामया : ' सब लोग रोगरहित हों। भारत सरकार का भी यही लक्ष्य है कि सब लोग स्वस्थ हों- शायद 2006 या 2010 तक का लक्ष्य है। ऐलोपैथी के लिये बजट प्राप्त हो या न हो लेकिन भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिये ज्यादा बजट आवंटित किया जाये। भारतीय चिकित्सा पद्धति- आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक के लिये ज्यादा अनुसंधान की सुविधा प्रदान की जाये और ग्रामीण स्तर पर उप-स्वास्थ्य केंद्र या स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जायें। यदि ऐलोपैथिक डाक्टर नहीं पहुंच सकता तो कम से कम होम्योपैथी या आयुर्वेदिक डाक्टर की सुविधा तो ग्रामीण स्तर पर पहुंच सकती है, तभी लोग अपने रोगों से छुटकारा पा सकते हैं क्योंकि यह सस्ती और अचूक पद्धति है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार द्वारा लाये गये इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूँ। इस के साथ ही एक बात और कहना चाहूंगा कि जर्मनी से स्टैंडर्ड की दवा आती थी जो अचूक हुआ करती थी लेकिन आज होम्योपैथी के नाम पर व्यावसायीकरण हो गया है। भारत के अंदर जहां कहीं भी होम्योपैथी औधि का निर्माण होता हो, उनका मानकीकरण, प्रमाणीकरण और उसकी विश्वसनीयता बनी रहे ताकि रोग के डॉयग्नोज होने के बाद रोगी को लाभ मिल सके और वह मौत के मुंह में जाने से बच सके। आपने मुझे बोलने का सुअवसर प्रदान किया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूँ।

सभापति महोदय : आप सब को मालूम है कि इस बिल को साढ़े तीन बजे तक पारित करना है। इसलिये निवेदन है कि संक्षेप में अपनी बात रखें। डा. रघुवंश प्रसाद सिंह।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् बिल में संशोधन लाने का विधेयक प्रस्तुत किया है। मैं नहीं जानता कि उनकी होम्योपैथी में क्या रुचि है, लेकिन स्वास्थ्य जन-जीवन के लिये बहुत ही महत्व का विषय है, खासकर जिस देश में गरीब लोग ज्यादा रहते हों, बीमारी से ज्यादा पीड़ित रहते हैं। ऐलोपैथी में सर्जरी का बहुत बड़ा महत्व है और उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता लेकिन आज दवायें और चिकित्सा इतनी महंगी हैं कि गरीब आदमी भगवान के भरोसे जीवित रहता है। ऐलोपैथी चिकित्सा के लायक उनकी हैसियत नहीं होती है और न उनकी आर्थिक क्षमता है। प्रधानमंत्री को से कुछ मदद मिल जाती है। माननीय मंत्री जी सांसदों को चिट्ठी लिख रहे हैं कि बजट साफ हो गया है, इसलिये कोई मदद नहीं दी जा सकती है। पहले मंत्री जी को लिखने पर गरीब को मदद मिल जाती थी लेकिन अब वह भी नहीं मिल रही है क्योंकि पैसा नहीं। इसलिए निगेटिव चिट्ठी दी जा रही है। अब गरीब का क्या होगा? वास्तव में होम्योपैथी चिकित्सा बहुत ही उपयोगी है। देश के विभिन्न हिस्सों में कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसके लिये होम्योपैथी दवा राम बाण के समान है। ऑपरेशन से नहीं, होम्योपैथी दवा से नहीं, अब अनेक अनुसंधानों के परिणाम आ रहे हैं कि एंटी-बायोटिक बीमारी को खराब करती है, शरीर का नाश कर देती हैं और उसमें विषाणु हो जाता है।

सभापति महोदय, हनीमैन साहब ने इसका अनुसंधान किया है। डा. केनटेक रोगी को आते ही पहचान जाते थे। यह पद्धति सस्ती और इलाज भी सस्ता है। इसलिये मंत्री जी बहुत अच्छा विधेयक लाये हैं। राज्यों में जैसे-तैसे होम्योपैथिक कालेज चल रहे हैं। माननीय मंत्री जी यह विधेयक इसलिये लाये हैं ताकि उन पर इनका नियंत्रण हो लेकिन 'सूखला' नियंत्रण सही नहीं है। खाली सूखा नियंत्रण करना, सीधे मालिक बनना और उसमें हिसाब-किताब देखना ठीक नहीं है। उसे कुछ मदद के लिए भी **अ.स.घो** (व्यवधान) बिहार में एन.सी.घो एक डाक्टर हैं **अ.स.घो** (व्यवधान)

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : इसका अंग्रेजी और हिन्दी में कोई अनुवाद नहीं हो रहा है, हमें सुखले का मतलब समझ नहीं आया।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : सुखले नियंत्रण मतलब खाली नियंत्रण। पैसों का प्रावधान हमने इसमें देखा है, इसमें वित्तीय इंतजाम होता है। लेकिन इसमें पैसे का कुछ इंतजाम नहीं है। फिर सूखा नियंत्रण कैसे संभव हो सकेगा। हमारे यहां मुजफ्फरपुर में रायबहादुर तुनकी होम्योपैथिक कॉलेज है। एन.सी.घो पटना में होम्योपैथी के बहुत बड़े डाक्टर थे और स्थानीय जिला लैवल पर होम्योपैथी के बड़े-बड़े मशहूर डाक्टर हैं। आपने सही कहा है कि इसमें भी अनुसंधान होना चाहिए और गरीब लोगों के लिए होम्योपैथी को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। इसमें एक पद्धति वाला हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। कुछ बीमारियां आयुर्वेद से ठीक हो सकती हैं। ऐलोपैथी में कुछ रामबाण दवाएं हैं, जैसे लीवर के लिए लिब-52 है। ऐलोपैथी में इसके लिए और कोई दवाई नहीं है। आयुर्वेद में सारी जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए देशी चिकित्सा पद्धति के साथ-साथ होम्योपैथी को भी प्रोत्साहन देने की जरूरत है। लोग जैसे-तैसे कॉलेज खोल देते हैं लेकिन उनमें सुविधाएं और इंतजाम नहीं होते हैं। इसलिए उनमें पढ़ाई और प्रशिक्षण ठीक से हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार इसके लिए कुछ वित्तीय उपबंध भी करे। होम्योपैथी को प्रोत्साहन देने के लिए यह जरूरी है। चूंकि राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए गरीबों के हक में होम्योपैथी की जो दवाएं और चिकित्सा सस्ती है, इस हेतु सरकार को इसे प्रमोट करने के लिए कुछ राशि का प्रबंध करना चाहिए। देशी चिकित्सा में सब जड़ी-बूटी वाली दवाइयां बनती हैं। लेकिन अब विदेशी लोग इन जड़ी-बूटियों को पेटेन्ट करा रहे हैं। हर, बहेड़ा, आंवला, चिरायता, नीम आदि का इनमें इस्तेमाल होता है। उन्हीं चीजों से होम्योपैथी भी मंदर टिंचर बनाकर बीमारियों का इलाज कर रही है। इसलिए इसे प्रमोट करने के लिए हम आपसे आग्रह करेंगे और साथ ही यह भी निवेदन करेंगे कि इसके लिए कुछ वित्तीय उपबंध भी होने चाहिए, जिससे देश में होम्योपैथी चिकित्सा, लोकोपयोगी और जनोपयोगी हो सके और गरीब लोगों को सस्ती दवाएं मिल सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

SHRI HANNAN MOLLAH (ULUBERIA): Mr. Chairman Sir, since the beginning of this week I have been waiting to speak on this Bill. I am happy that it has ultimately been taken up today. I have no time to deliver a lengthy speech. Therefore, I agree with the earlier speakers insofar as the quality, necessity and value of this branch of medicine is concerned. I would like to make some specific points. The hon. Minister has done many good things on the screen; now I want that he does it on the ground too.

I would like to draw the attention of the hon. Minister to the fact that the Central Homoeopathy Council has become a den of corruption. I would like to see that in his hands it would become clean. Already some hon. Members have explained that all the members of the Central Homoeopathy Council are having their own colleges and most of those colleges are below the required quality. The present Chairman has recently started a new Homoeopathy college. But there is no

infrastructure at all. The Vice-Chairman has also opened one in Bihar, again without any infrastructure. You may please enquire into these things. As Prof. Rasa Singh Rawat has just now mentioned, most of the 133 private colleges have been sanctioned through dubious means. This is my allegation.

The present Chairman has set up a Homeopathy Medicine factory and all the homeopathy hospitals which purchase medicine from the factories they are affiliated. I want an enquiry into this. These are the things that are happening. In the case of the Medical Council also corruption has been exposed and many culprits have been found.

Here also, I think that corruption is there in the Homeopathy Council. I demand that there should be a CBI inquiry in all these aspects. You are changing the rules under the connivance of the Department and the Homeopathy Council. You have changed the rules. Earlier some rules were there and now they have changed them. For example, they have said that a homeopathic college, institute or hospital desirous to start a post graduate course in homeopathy, having no undergraduate facility, shall have a minimum of 25-bed hospital with attached laboratory for routine investigative procedure. It is only 25-bed hospital. Earlier, it was not there.

Then there were provisions of both MD (Hom.) regular course of three years duration alongwith a provision of external MD (Hom.) course of two years duration for a limited period of eight years only. This rule was there earlier. They have changed it now. Again they have reduced the period. This is all in collaboration with the Ministry, the Homeopathy Council and the dishonest practitioners who are not even good doctors.

You know that Kolkata is the birth place of homeopathy and from there, it has spread to other places. But when these things are happening, nobody is there to look into them. There are complaints but those complaints are not attended to. I hope that, since you are here, you will listen to these complaints and try to clean the garbage.

I demand that a Commission of Inquiry should be appointed under Section 30 and sub-Section (1) of Homeopathic Central Council Act, 1973 to inquire into the irregularities of the Central Council of Homeopathy including the matter of affiliation of both undergraduate and post graduate colleges that have been established in the last three years.

Secondly, immediate steps should be taken to close the substandard undergraduate and post graduate homeopathic colleges.

Thirdly, I demand deletion of Section 9(3)(a) of amended Homeopathy (Post Graduate Degree course) MD (Hom.) Amendment Regulations, 2001 so that any organisation not having the basic infrastructure of running a undergraduate college as stipulated in the minimum standard regulations can run MD (Hom.) course.

Fourthly, the external post graduate course should be stopped by deleting Part VI of the Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, No. 295 dated 5th November, 2001 which has provided special provision for external courses. These are certain points which I would request to look into. Later on, you have to even go in for a CBI inquiry to find out where things are going wrong, who are the culprits who are destroying the system, who are giving it a bad name and who are introducing spurious medicines in the market. All these things are there.

You have recently visited Kolkata and seen the National Institute of Homeopathy. It was created with the idea that it will be a University of Homeopathy in the country or a pioneering institute. But there are a lot of problems there.

There is no regular Director since 1993. There is no governing body since 1999. The number of teachers as per the minimum standard of undergraduate is much below than stipulated in Central Homeopathy Council regulations. According to CCH regulations, there should be separate UG and PG Departments. They are not there. The pay scale of teachers is much below the National Institute of Ayurveda, Jaipur although the status of both the Institutes are the same and both are under the same Department. There is no promotional policy for the faculty members.

These are the points to which I would draw your attention. I will write to you separately as I could not speak on all the points. I hope you will try cleaning of homeopathy field which will serve the poorer sections of the society, as every hon. Member has said here, and can be the instrument of cure of diseases.

सभापति महोदय : इस समय 3.30 बज रहे हैं। इस बिल पर केवल दो माननीय सदस्य एक-दो मिनट और बोलेंगे और फिर माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे। जब तक यह बिल पारित हो जाए, तब तक के लिए हम प्राइवेट मੈम्बर्स बिल का समय आगे बढ़ा देते हैं और जितना समय हम इस बिल पर लेंगे, उतना समय हम प्राइवेट मੈम्बर्स बिल में बढ़ा देंगे।

क्या सदन की इस पर सहमति है?

अनेक माननीय सदस्य : हाँ, हाँ।

सभापति महोदय : जब तक यह बिल पारित हो, तब तक के लिए हम प्राइवेट मੈम्बर्स बिल का समय आगे बढ़ाते हैं।

DR. V. SAROJA (RASIPURAM): Thank you, Mr. Chairman. I congratulate the hon. Minister for bringing in such a

very important Bill, which will be very useful for the people of this poor country. I endorse the views of all the hon. Members who had gone in depth on the subject of homoeopathy. I would like to ask only a few questions. I hope the hon. Minister would take note of my questions so that it would be useful in regulating the standard of Indian medical system.

The Anatomy Act of 1982 is a very important Act, which is useful for the medical students to understand the anatomy of the human body without which the medical students will not be able to understand the physiology and later on the pathology. If they understand that, in their life time, the deterioration of the medical services will not occur.

Secondly, like other medical colleges, will the Government come forward to bring in stringent law as far as the facilities to create a hospital at least three years before the start of the college and also the laboratory facilities which point was raised by many hon. Members? The infrastructure, the bed strength and the required life facilities should be there before they could start the college. Thirdly, Budgetary provision for the health sector is far below the bare minimum. During 1980, it was 1.30 per cent of the GDP, but it has gone down to 0.8 per cent. Will the Government consider increasing the Budgetary allocation? Kindly take note of this.

The research and development in homoeopathy and in the Indian system of medicines is not up to the mark. Kindly take note of this. It is very important to produce quality doctors. Last but not least, the multi-national companies have to come forward to produce standard drugs for the benefit of Indians without minding more for the commercial work.

श्री नरेश पुगलिया (चन्द्रपुर) : सभापति जी, माननीय मंत्री महोदय, ने होम्योपैथी सिस्टम को देश में एक नया स्टेटस दिलाने के लिए जो बिल पेश किया है, उसका मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की ओर से समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

इस बारे में मेरे केवल दो-तीन सुझाव हैं। देश में अभी लगभग 2 लाख डाक्टरस होम्योपैथी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन अन-ऑफीशियली इससे ज्यादा संख्या ऐसे डाक्टरस की है जो होम्योपैथी की प्रैक्टिस बुक नॉलेज के आधार पर करते हैं। चूंकि होम्योपैथी मैडीसिन का कोई साइड इफ़ैक्ट नहीं है इसलिए किसी का नुकसान तो नहीं होता, लेकिन देश में जो नए होम्योपैथी मैडीकल कॉलेज खुलेंगे, वे इस बिल के माध्यम से उनमें एक तरह का पाठ्यक्रम होगा।

अभी किसी राज्य में कोई और किसी राज्य में कोई पाठ्यक्रम चलता है और इसी प्रकार से कहीं डिप्लोमा और कहीं डिग्री कोर्स चलता है जो किसी राज्य में दो र्वा का है और किसी में चार र्वा का। इस प्रकार से विभिन्न राज्यों में होम्योपैथी के कोर्सेस में भी भिन्नता है। इस बिल के पारित होने के बाद सारे देश में एक सा कोर्स हो जाएगा और सारे देश में एक ही प्रकार के होम्योपैथी के डाक्टरस तैयार होंगे।

सभापति महोदय, दिन ब दिन देश में चिकित्सा विभाग का बजट कम होता जा रहा है। मैं शत्रुघ्न सिन्हा जी का ध्यान आर्काति कराना चाहता हूँ कि प्रति र्वा लगातार केन्द्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का बजट कम होता जा रहा है। इसका प्रभाव राज्यों के स्वास्थ्य विभागों पर भी पड़ रहा है। उन्हें भी उसी हिसाब से अपनी योजनाओं में व्यय कम करने पर विवश होना पड़ रहा है। आज देश भर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं अस्पतालों की बड़ी दयनीय दशा है। वहां कहीं उपयुक्त मात्रा में स्टाफ नहीं है, तो कहीं औधियां नहीं हैं। यही स्थित देश में होम्योपैथी पद्धति से चिकित्सा उपलब्ध कराने की है।

आपने जिस प्रकार से संसद सौध में एलोपैथी के डाक्टर और चिकित्सा की तरह ही आयुर्वेद एवं होम्योपैथ के डॉक्टरों और चिकित्सा की व्यवस्था की है। यह बहुत अच्छी है। मैं चाहता हूँ कि उसी प्रकार से पूरे देश में होम्योपैथी के डाक्टर और औधियां उपलब्ध कराने की कोशिश करनी चाहिए।

चिकित्सा पद्धति के माध्यम से जितने भी खासकर माननीय सदस्यों ने, काउंसिल के बारे में हमारे एक साथी ने कहा कि आपकी जो सेंट्रल काउंसिल है, इसमें काफी बड़े पैमाने पर करप्शन है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि होम्योपैथी काउंसिल के जो पदाधिकारी हैं या मैम्बर्स हैं, उनके किसी भी प्रकार के कालेज यदि बॉडी में हैं तो ऐसे लोगों को इस काउंसिल में नहीं लिया जाये।

अभी मेडिकल कालेज को एलोपैथी में देने का सेंट्रल काउंसिल का जो सिस्टम है, उसमें जिस तरह परमीशन दी जाती है, उसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता है। प्राइवेट मेडिकल कालेज में जिस प्रकार से डाक्टरस को कैंपिटेशन फी या लाखों रुपये की कीमत चुकानी पड़ती है, उस कारण चिकित्सा पद्धति का सारे देश में व्यापारीकरण हो रहा है। उसे मद्देनजर रखते हुए कम से कम होम्योपैथी में इसका व्यापारीकरण न हो, इसके लिए जागृति रखनी होगी। हम उम्मीद करते हैं कि इस नये बिल के अमेंडमेंट के बाद सारे देश में एक ही कोर्स आप इंद्रोड्यूस करेंगे और आने वाले समय में सभी हास्पिटल्स में होम्योपैथी के डाक्टरस की नियुक्ति करेंगे। मैं आपके इस बिल का समर्थन करता हूँ।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री शत्रुघ्न सिन्हा) : सभापति महोदय, मैं इस बिल को समर्थन देने के लिए सदन के अपने तमाम वरिष्ठ सहयोगियों का आभार प्रकट करता हूँ। कुछ मामलों पर हमारे माननीय सदस्यगण ने, हमारे सीनियर्स ने, हमारे विद्वान लोगों ने इस संबंध में कुछ सुझाव दिये हैं या अपनी जो राय प्रकट की है, मैं उस पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा। जैसा हमारे बहुत ही योग्य मित्र श्री प्रियरंजन दास मुंशी जी ने चिंता व्यक्त की कि इस बिल के जरिये कहीं स्टेट में या यूनीवर्सिटी के दाखिले में हम किसी किस्म का वर्चस्व या जोर तो पकड़ने नहीं जा रहे हैं। मेरा कहना है कि इसमें किसी किस्म का क्लैश नहीं है। **The role of the University is to consider affiliation.** स्टेट गवर्नमेंट लोकेशनली क्लीयरेंस देती है। यह यूनीवर्सिटी का जो रोल है, वह **even after amendment of the Act** कन्टीन्यू रहेगा। इसमें इस प्रकार की चिंता ठीक नहीं है। एक बहुत ही बढ़िया सवाल इन्होंने उठाया कि जो लोग 1973 से पहले प्रैक्टिस कर रहे थे, उनके बारे में आपकी क्या राय है? हम इसमें यही कहना चाहेंगे कि स्टेट या सेंट्रल काउंसिल के साथ जो रजिस्टर्ड थे, 1973 से पहले जो प्रैक्टिस कर रहे थे, आज भी वे लीगली प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके इनेकटमेंट के बाद भी **They can still practise. No new registration will be given after 1973 if not institutionally qualified.** जो इंस्टीट्यूशली क्वालीफाई नहीं करेंगे, उनको नया रजिस्ट्रेशन उसके बाद नहीं मिलेगा। जो पहले प्रैक्टिस कर रहे थे, वे अभी भी कर सकते हैं। हमारा अभिप्राय यह है कि जिस तरह सब-स्टैंडर्ड और मशरूमिंग कालेज के बारे में हमारे कुछ लोगों ने बात उठायी और जैसा आपने कहा कि वहां कई जगह ऐसी हैं जहां इन्फ्रास्ट्रक्चर के नाम पर बिल्डिंग नहीं है, कहीं पेड़ हैं, मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहूंगा। जब बिल राज्य सभा में पारित हुआ और आज जब यह बिल आपके सामने आया है तब से यानी अप्रैल से लेकर आज तक इसमें बहुत बड़ा ग्रोथ आया है। शायद यह इसलिए क्योंकि यह खबर आ चुकी थी कि ऐसा हो रहा है इसलिए इससे पहले इसे कर लो। देश में 1999-2000 में 141 कालेज, 2000-01 में 160 कालेज और मार्च 2002 तक 166 कालेज हुए। इसी तरह मार्च 2002 से लेकर अगस्त 2002 तक ये बढ़कर 182 हो गये। यकीनन इन्हीं बातों की रोकथाम के लिए

यह बिल लाया गया है। एक सब-स्टैंडर्ड मशरूमियत हो रही है जिसमें ल्यूक्रेटिव बिजनैस का जिक्र किया गया है। यकीनन इसमें पैसा इन्वॉल्वड है, कामर्स इन्वॉल्वड है। बहुत सारे लोग इस हरकत से कर रहे हैं।

मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं श्री दासमुंशी की बात का जवाब दे रहा था। उन्होंने बहुत विस्तारपूर्वक बात की। मैं उनकी कद्र करता हूँ, उनका आदर करता हूँ। मैंने उनके विचारों को बहुत गौर से सुना इसलिए उस पर रिस्पॉंड किया।

पांडेय जी ने कहा कि इंडियन सिस्टम ऑफ मैडीसन का एक अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए। उसका पहले से ही एक डिपार्टमेंट है जो बढ़िया काम कर रहा है और जिसमें आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी, योगा, नैचुरोपैथी और होम्योपैथी है। आयुर्वेद एक बहुत मजबूत सिस्टम है, बहुत प्रभावशाली सिस्टम है। इसलिए इंडियन सिस्टम ऑफ मैडीसन में इसका प्रभावशाली इफैक्ट है।

बजट और पी.जी. कोर्स की बात की गई। यहां आई.एस.एम.एच. का पी.जी. कोर्स शार्ट ड्यूरेशन का भी है जो जल्द ही शुरू होने वाला है। **Modern medical students will be sensitised about the basic strengths of ISMH.** यह भी होने वाला है।

I am really grateful to Shri Varkala Radhakrishnan for supporting the Bill. I would like to answer very briefly a few points which you all have raised during the debate.

Sir, I would like to inform Prof. Rasa Singh Rawat that we have already been given Rs. 150 crore in 2002-03. In the 10th Plan we have been allotted Rs. 775 crore. (व्यवधान) जहां बजट बढ़ाने की बात है, टैन्थ प्लान में हमारा बजट काफी बढ़ा है, 150 करोड़ रुपये से 775 करोड़ रुपये हो चुका है।

हन्नन मोल्लाह जी, मैं खुद कोलकाता इन्स्टीट्यूट गया था। आपको खुशी होगी, इस बात का शायद कुछ लोगों को पता नहीं है कि हमने ऑलरेडी गवर्निंग बॉडी कौन्स्टीट्यूट कर दी है। कोलकाता का इन्स्टीट्यूट पूरे देश में बैस्ट इन्स्टीट्यूट है। बार-बार खबर आती है कि वहां के डायरेक्टर ऐलोपैथी के डाक्टर हैं, वहां होम्योपैथी के प्रिंसिपल नहीं हैं, डायरेक्टर नहीं हैं। मैं बताना चाहूंगा कि वे ऑफिशिएट कर रहे हैं। हमने एक सज्जन को लिया था, श्री दासमुंशी जी को पता होगा, बंगाल के लोगों को खास पता है कि पहले जो डायरेक्टर लिए थे, उन पर किसी किस्म की सी.बी.आई. इन्क्वारी आ गई थी। जब सी.बी.आई. इन्क्वारी आ गई तो कहानी वहीं खत्म हो गई। दूसरे दो लोग, जो वहीं के थे, उन्होंने चार्ज ले लिया है। अब डायरेक्टर साहब को चार्ज दिया हुआ है जो ऑफिशिएट कर रहे हैं। इन द मीनटाइम पोस्ट ऐडवर्टाइज़ कर दी है और बहुत जल्द उसे भर दिया जाएगा। बाकी सब बातें हम आपस में कर लेंगे। समय ज्यादा हो गया है, इसलिए मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। (व्यवधान)

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : इन्होंने बहुत बुनियादी सवाल उठाया था कि जो लोग होम्योपैथी बोर्ड के सदस्य हैं, वे अपने नाम पर कालेज खोल रहे हैं और उसमें करप्शन करवाते हैं।

सभापति महोदय : मैं परमीशन नहीं दे रहा हूँ।

श्री शत्रुघ्न सिन्हा : आपकी बात का हम पूरा ध्यान रखेंगे, मुझे उसकी चिन्ता है। मैं खुद वहां होकर आया हूँ और मैं आपको सैटिसफाई करूंगा।

श्री रघुनाथ झा : सैण्ट्रल होम्योपैथी काउंसिल की भी जांच होनी चाहिए।

श्री शत्रुघ्न सिन्हा : हम उसे देख रहे हैं, हम उसे छोड़ेंगे नहीं, हम उसे ढंग से लेकर आएं। मैं आप तमाम लोगों का आभार प्रकट करते हुए, सभापति महोदय, आपसे गुजारिश करूंगा कि इस बिल को पास किया जाये।

MR. CHAIRMAN : The question is:

"That the Bill further to amend the Homoeopathy Central Council Act, 1973, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

The House shall now take up clause by clause consideration of the Bill. The question is:

"That clauses 2 to 4 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 to 4 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

SHRI SHATRUGHAN SINHA: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

—————